लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्ठियां

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् में शासन द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारियों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रसं0	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी
1	सचिवालय, पर्यटन अनुभाग	अपर सचिव पर्यटन विभाग	–	सचिव पर्यटन/ प्रमुख सचिव पर्यटन
2	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, मुख्यालय, देहरादून	संयुक्त निदेशक पर्यटन	–	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकरी
3	कार्यालय साहसिक पर्यटन, अल्मोडा	विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन, अल्मोडा	–	जिलाधिकारी, अल्मोडा
4	कार्यालय साहसिक पर्यटन, उत्तरकाशी	विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन, उत्तरकाशी	–	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
5	जिला पर्यटन कार्यालय, देहरादून	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून	–	जिलाधिकारी, देहरादून
6	जिला पर्यटन कार्यालय, हरिद्वार	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, हरिद्वार	–	जिलाधिकारी, हरिद्वार
7	जिला पर्यटन कार्यालय, टिहरी, नरेन्द्रनगर	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी नरेन्द्रनगर	–	जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल, नई टिहरी
8	जिला पर्यटन कार्यालय, पौडी	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौडी	–	जिलाधिकारी, पौडी गढवाल
9	जिला पर्यटन कार्यालय, रूद्रप्रयाग	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग	–	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग
10	जिला पर्यटन कार्यालय, चमोली	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली,गोपेश्वर	–	जिलाधिकारी, चमोली, गोपेश्वर
11	जिला पर्यटन कार्यालय, नैनीताल	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, नैनीताल	–	जिलाधिकारी, नैनीताल
12	जिला पर्यटन कार्यालय, उधमसिंह नगर	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उधमसिंह नगर	–	जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर

13	जिला पर्यटन कार्यालय, चम्पावत	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चम्पावत	–	जिलाधिकारी, चम्पावत
14	जिला पर्यटन कार्यालय, पिथौरागढ	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ	–	जिलाधिकारी, पिथौरागढ
15	जिला पर्यटन कार्यालय, बागेश्वर	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, बागेश्वर	–	जिलाधिकारी, बागेश्वर

सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देशः–

1– आवेदन पत्र–आवेदन हेतु कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है। अतः कोई भी व्यक्ति साधारण कागज में (ए–3 एवं ए–4 तथा उससे बडे साइज में) आवेदन कर सकता है लेकिन उसके लिये निम्नलिखित सूचनायें अपेक्षित है।

1– अनुरोध कर्ता का नाम

2– पिता/पति का नाम

3– पत्राचार/सम्पर्क का पूरा पता

4– इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण

5– सम्बन्धित विभाग का नाम

6– आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण

7– गरीबी रेखा से नीचे आय का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

8– आवेदन पत्र जमा करने की तिथि

9– आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

2– शुल्क

(1) आवेदन पत्र के लिये रू0 10.00 प्रति आवेदन पत्र शुल्क निर्धारित है।

(2) रू0 2.00 प्रति पृष्ठ की दर से उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना का शुल्क अलग से देय है।

(3) ए–3 एवं ए–4 से बडे आकार के कागज पर उपलब्ध सूचना हेतु उसकी वास्तविक लागत

(4) अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु प्रथम घंटा के लिये कोई शुल्क नहीं लेकिन उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके किसी भाग के लिये रू0 5.00

(5) डिस्केट/फ्लापी में उपलब्ध सूचना हेतु रू0 50.00 प्रति डिस्केट/फलापी

(6) मुद्रित प्रारूप में दी गई सूचना हेतु ऐसे प्रकाशन के लिये नियत कीमत या ऐसे प्रकाशन से उदाहरणों की फोटो प्रति के लिये रू0 2.00 प्रति पृष्ठ

(7) सेम्पल/माडल की दशा में उसकी वास्तविक लागत

(8) अन्य शुल्क यदि किसी पर्यटन साहित्य का क्रय किया जाता है निर्धारित मूल्य के अनुसार

(9) अतिरिक्त शुल्क की सूचना दिये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारी अनुरोध कर्ता को निम्न वातों के सम्बन्ध में सूचित करेगा

क– अतिरिक्त शुल्क का आकंलन प्रदर्शित करते हुये शुल्क की राशि।

ख– शुल्क जमा कराने की सूचना दिये जाने की तिथि से शुल्क जमा करने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने की निर्धारित 30 दिन की समयावधि में नहीं जोडा जायेगा।

ग– अतिरिक्त शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में अनुरोध कर्ता को कोई शिकायता हो वह इसके लिये विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिनों में अपील कर सकता है।

घ– विभागीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता तथा अपील करने की समय अवधि अदि की सूचना

3– शुल्क का भुगतान

1– आवेदन शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से किया जा सकता है।

2– बैंक ड्राफ्ट या बैकर्स चैक विभाग या लोक प्राधिकारी के लेखा/वित्त अधिकारी के नाम बनाया जायेगा।

3– लोक प्राधिकारी शुल्क जमा करके उसकी रसीद अनुरोधकर्ता को देगा तथा प्राप्त शुल्क को राजकोष में जमा करायेगा।

विलम्ब से सूचना देने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा (धारा–7) (6) :

यदि कोई लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने की समय सीमा के अन्दर अनुरोध कर्ता को सूचना देने में असमर्थ रहता है तो अनुरोधकर्ता को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित समय सीमा :

किसी व्यक्ति के द्वारा आवेदन कर मांगी गई सूचना के लिये शासन द्वारा निम्न प्रकार समय सीमा निर्धारित की गई हैः–

1– आवेदन करने के 30 दिन के अन्दर जिसकी गणना आवेदन शुल्क की प्राप्ति के दिनांक से की जायेगी।

2– यदि वांछित सूचना का सम्बन्ध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता की सुरक्षा है तो सूचना निर्धारित शुल्क व आवेदन पत्र प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर दी जायेगी।

3– यदि वांछित सूचना किसी पक्षकार से सम्बन्धित है तो उक्त सूचना को प्रकट करने अथवा नहीं करने के निर्णय के लिये 40 दिन का समय निर्धारित है ताकि उक्त अवधि में से 10 दिन का समय तीसरे पक्षकार को सूचना प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने के लिये दिया जा सकता है।

सूचना के लिये अपील :

लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने से मना करने अथवा निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने या कोई उत्तर नहीं देने पर कोई व्यक्ति उक्त सूचना के लिये विभागीय या प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध कोई व्यक्ति संतोष नहीं है तो अधिनियम की धारा–19 के अनुसार राज्य सूचना आयोग में उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील कर सकता है। अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत नागरिकों के द्वारा शिकायत भी की जा सकती है।

विशिष्टियां :– सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क, आवेदनों का पंजीकरण आदि विशिष्टियां संलग्नक संख्या–1 से 10 तक में उपलब्ध है जो कि निम्न प्रकार हैं।

संलग्नक–1

सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्रस.	अनुरोध प्राप्ति की तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	संबंधित विभाग/ अनुभाग का नाम	आवेदन शूल्क का भुगतान (रू.)	लोक सूचना अधिकारी को आग्रेषण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संलग्नक–2

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्रस.	अनुरोध प्राप्ति की तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाष संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	आवेदन शुल्क रू0	अतिरिक्त शुल्क रू0
1	2	3	4	5	6	7	8

कुल शुल्क रू0	अनुरोध अस्वीकार करने पर उसका कारण	अतिरिक्त शुल्क की सूचना की तिथि	अतिरिक्त शुल्क प्राप्ति की तिथि	तीसरे पक्ष को सूचित करने की तिथि (यदि आवश्यक समझाजाय)	तीसरे पक्ष से उत्तर प्राप्ति की तिथि	अनुरोध पर अंतिम आदेश	ओदश निर्गत करने की तिथि
9	10	11	12	13	14	15	16

संलग्नक–3

विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क्र. सं.	अपील के लिए अनुरोध पत्र प्राप्ति तिथि	विभाग/अनुभाग का नाम	अपील से सम्बन्धित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	लो0सू0ओ0 के आदेश का संक्षिप्त विवरण	अपील स्वीकृत/अस्वीकृत	विभागीय अपील अधिकारी के आदेश की तिथि	अपीलकर्ता को आदेश पत्र निर्गत करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध को अग्रेषित करने का प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या:.. दिनांक ....

प्रेषक:

....

....

....

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी

....

....

अनुरोधकर्ता का नाम ....

पत्राचार का पता ....

वर्ग : बी0पी0एल0 / ए0पी0एल0...

अनुरोध प्राप्ति की तिथि...

अग्रेषण की तिथि ....

मांगी गई सूचना का विषय...

....

सम्बन्धित विभाग / अनुभाग का नाम...

सूचना शुल्क की मात्रा रू0 ....

अन्य विवरण (यदि कोई हो)..

संलग्नक: अनुरोध पत्र की मूल प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक–5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या .... दिनांक ....

विषयः अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में

श्री/श्रीमती ....

....

....

कृपया अपने दिनांक .... के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री के एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू0 .... अतिरिक्त शुल्क देय होता है।

अतिरिक्त शुल्क का विवरण

क्र. सं.	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि

अतः उक्त धनराशि को यथाशीघ्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो विभाग के लेखा/वित्त अधिकारी के नाम बना हो प्रेषित करें/अथवा कार्यालय में नकद जमा करें/करवा दें।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक एक समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जायेगा।

हस्ताक्षर

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक–6

तीसरे पक्षधर की सूचना के लिए प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या .... दिनांक ....

....

....

....

संलग्न श्री/श्रीमती .... से प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्र की एक प्रति आपको इस आशय से भेजी जा रही है कि इस विषय में यदि आपको कुछ कहना हो तो आप अपना पक्ष इस पत्र की तिथि के 10 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को लिखकर या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप में प्रस्तुत करें।

यदि आपकी ओर से इस पत्र के विषय में 10 दिन के अन्दर हमें कोई सूचना प्राप्त नही होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है।

संलग्न : अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय मुहर

संलग्नक–7

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या .... दिनांक ....

लोक सूचना अधिकारी

....

....

....

संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके विभाग/अपक्रम से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः सूचना का अनुरोधपत्र मूल रूप में:

भवदीय

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय मुहर

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री/श्रीमती ....

....

लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक–8

कार्यालय का नाम व पता

सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र

पत्रावली संख्या .... दिनांक ....

श्री / श्रीमती ....

निवासी ....

....

से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना का अनुरोध पत्र रू0 .... आवेदन शुल्क के साथ प्राप्त किया।

अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आर्य वर्ग का है अतः आवेदन शुल्क देय नही है।

संलग्नकः शुल्क रसीद,

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय मुहर

संलग्नक–9

अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या .... दिनांक ....

....

....

....

कृपया अपने दिनांक .... के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहरण करें। आपके अनुरोध को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है।

(1) ....

(2) ....

(3) ....

इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहे तो विभाग के उच्च अधिकारी व अपील अधिकारी, जिनका पता नीचे दिया गया है, से इस पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर–अन्दर अपनी अपील कर सकते हैं।

अपील अधिकारी का पता

.... भवदीय

....

.... लोक सूचना अधिकारी

.... कार्यालय की मुहर